



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2020—चैंशाख 4, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2020

क्र. 247-2020-ए-सोलह.—यह कि भारत सरकार द्वारा वैश्विक महामारी "कोविड-19" का सामना करने हेतु संपूर्ण भारत में लॉक डाउन घोषित किया गया है,

और, यह कि भारत सरकार द्वारा उद्योगों को 20 अप्रैल 2020 से कुछ छृट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है,

और, यह कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में घोषित किये गये कंटेनमेंट जोन व हाटस्पाटस में यह छृट लागू नहीं करते हुए राज्य के अन्य राज्यों पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 से स्वास्थ्य, सुरक्षा व सामाजिक दूरी की प्रक्रिया को अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियां आरंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है,

अब, इसलिये, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शर्किलों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सामन अधिकृतवा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन माह के लिए धारा 65 की उपचारा (3) (क) की कंडिका (तीन) एवं (चार) के प्रावधानों में दिन शर्तों के साथ छूट दिया जाना चिनिर्दिष्ट करती हैः—

1. किसी भी व्यास्क कर्मकार से किसी भी दिलस में 12 घंटे से अधिक तथा मासाह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा।
2. किसी दिन में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात् 30 मिनट का विकास अवधिवार्ष रूप से दिया जाएगा एवं कोई भी कर्मकार 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा जब तक कि इसे 30 मिनट का विकास न दिया गया हो।
3. प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल कार्य हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

No. 247-2020-A-XVI.— WHEREAS, the Government of India has declared Lockdown across India to fight against the world wide pandemic "COVID-19";

AND, WHEREAS, the Government of India has decided to provide certain relaxations for industrial from 20th April, 2020;

AND, WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh has decided that these relaxations will not be applicable to areas declared as hotspots or containment zone in different places of the State and the Industrial activities can start functioning from 20th April, 2020 but with due procedures of health, safety and social-distancing;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948 (LXIII of 1948), the Government of Madhya Pradesh hereby directs that all the factories registered under the Factories Act, 1948 shall be exempted from various provisions relating to weekly hours, daily hours, Intervals for rest etc. of adult workers under clause (iii) and (iv) of sub-section (3) (a) of Section 65 with the following conditions for 3 months from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette:—

- (1) No adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than Twelve hours in any day and Seventy Two hours in any week.
- (2) The periods of work of adult workers in a factory each day shall be fixed that no period exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least 30 minutes.
- (3) Over time Wages shall be paid as provided under section 59 of the Factories Act, 1948.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बंदना मेहरा अटूट, उपसचिव,